फर्द अहकाम

अनिता देवी बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण

संख्या 181/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ प्रार्थी बहस हेतु दिनांक 8/3/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	8/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. अन्यत्र कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली प्रार्थीगण पुनः बहस हेतु दिनांक 12/3/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली प्रार्थीगण बहस हेतु दिनांक 15/4/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	15/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा० पत्र व पेशकार सरकार के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को	

फर्द अहकाम

अनिता देवी बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 181/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सुनवाई जारी। निर्णय ओपन कोर्ट इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल लिखन हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
181/2023	02/11/2023	15/04/2024

1. अनिता देवी पत्नि बेनीप्रसाद चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. प्रियंका चौधरी पत्नि राहुल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम माजीपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमियां ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ में स्थित कृषि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 1.2013 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 556/2 रहे है। जो प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रही है तथा कॉमन काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने से प्रार्थीया के लिये उक्त प्रकरण पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे अन्य सहखातेदारों के हक हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड रहा है। खसरा नम्बर 229 प्रार्थीगगण की संयुक्त खातेदारी भूमियां दर्ज रिकार्ड है जो पूर्व से तरमीम शुदा दर्ज नक्शें में रही है। जिसके हाल नक्शा में गलत प्रकार से रास्ता के खसरा नम्बर 182 की तरमीम कर दी गई जबकि प्रार्थीगण की भूमि 229 के पूर्व नक्शें में कोई रास्ता तरमीम नही था फिर भी गलत प्रकार से हाल खसरा नम्बर 229 में गलत प्रकार से रास्ता के खसरा नम्बर 182 की गलत तरमीम कर दिया गया है जो दुरूस्तनीय है। हाल खसरा नम्बर 229 जिसके गत खसरा नम्बर 556/2 रहे है तथा रास्ते के हाल खसरा नम्बर 182 जिसके गत खसरा नम्बर 556 रहे तथा रास्ते के गत खसरा नम्बर 556 जो पूर्व से पूर्व नक्शें में खसरा नम्बर 557 तक ही तरमीम शुदा रहा है तथा रास्ता के खसरा नम्बर 556 जो आबादी खसरा नम्बर 527 तक तरमीम था तथा हाल राजस्व नक्शें में हाल खसरा नम्बर रास्ता 182 की तरमीम को गलत प्रकार से प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 229 में गलत प्रकार से तरमीम कर दिया गया है जो दुरूस्तनीय है। प्रार्थीया की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 229 का हाल राजस्व नक्शा मे गलत प्रकार से खसरा नम्बर 182 की तरमीम को राजस्व कर्मचारियो ने गलत प्रकार से पूर्व नक्शे से भिन्न तरमीम कर दिया जिससे प्रार्थीया की शामलाती भूमि हाल खसरा नम्बर 229 के नक्शा की आकृति भिन्न व संकुचित तरमीम कर दिया तथा हाल नक्शें में पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर देने से सीमा विवाद हो गया इसलिये प्रार्थीया के लिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती कर लिये पेश किया जाना आवश्यक

उप खण्ड अधिकारी

हुआ। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 229 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 556/2 के अनुरूप एवं हाल खसरा नम्बर 182 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 556 के अनुरूप की जाकर हाल खसरा नम्बर 229 व 182 के नक्शा की तरमीम पूर्व नक्शें अनुसार दुरूस्त की जावें जिसकी प्रार्थीया अधिकारी है। हाल सैटलमेंट के दौरान राजस्व नक्शें में प्रार्थीया का खसरा नम्बर 229 के नक्शें में हाल खसरा नम्बर 182 को गलत तरमीम कर दिया गया है जो कि पूर्व नक्शें व मौके के विपरीत है जो दुरूस्त की जावें जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारिणी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पूर्व तरमीम को हाल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सर्वे में गलत तरमीम कर दी गई जबकि भूप्रबंध कर्मचारियों को पूर्व तरमीम शुदा खातेदारी की नई तरमीम कर दूसरी भूमि की तरमीम की तरमीम शुदा भूमि में करने का भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीयागण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 229 जिसके गत खसरा नम्बर 556/2 अनुसार एवं हाल खसरा नम्बर 182 जिसके गत खसरा नम्बर 556 अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शें अनुसार हाल नक्शें में खसरा नम्बर 229 व 182 की तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /रीडर/2023/19 दिनांक 30.01..24 द्वारा जवाब पेश किया । जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 1.2013है0 भूमि खातेदार अनिता देवी पत्नि वेनी प्रसाद हि0 1/12, कमली पत्नि भगवान सहाय हि0 5/48, कैलाश पुत्र गंगाराम हि0 5/32 गैंदी पत्नि छोटूरमा हि0 5/48, गोपाल पुत्र गंगाराम हि0 5/32, प्रियंका चौधरी पत्नि राहुल चौधरी हि0 1/12, भगवान पुत्र गंगाराम हि0 5/32, रामकुवार पुत्र गंगाराम हि0 5/32 अनुसार खातेदार दर्ज है। जिसके गत खसरा नम्बर 596/102, 601, 602 रहे है। खसरा नम्बर 229 प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जो पूर्व से तरमीम शुदा नक्शा में दर्ज है। हाल नक्शा और पूर्व नक्शें का मिलान किया गया जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 1.2013 है0 है। जिसके गत खसरा नम्बर 596/102 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 601 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 229 की नक्शें में तरमीम करदी गई है। वर्तमान मौके पर खातेदार पूर्व नक्शें अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है यह कि रिकार्ड व नक्शें से मिलान अनुसार हाल खसरा नम्बर 229 जिसके गत खसरा नम्बर 596/102, 601, 602 की पूर्व नक्शें मे पूर्वी सीमा पर डोट-डोट के निशान अंकित है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 229 के नक्शें को गत खसरा नम्बर 596/102, 601, 602 अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़